

## संविधान की प्रमुख विशेषताएँ

(Salient features of the constitution)

हर संविधान की अपनी विशेषताएँ होती हैं। जिन्हें देखकर उनका सम्पूर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। यहाँ बात भारत के संविधान के बारे में कहा जा सकती है। जो हम भारत के लोगों ने भारत के लोगों के लिए बनाया है इन विशेषताओं को संक्षेप में इस प्रकार उल्लेख किया जा सकता है।

उपयोजनशीलताएँ (Derivations) - संविधान

निर्मातागण अपने देश की आवश्यकताओं लोगों की आकांक्षाओं तथा समकालीन परिस्थितियों से अवगत थे।

निर्मित व लिखित संविधान - Enacted and written constitution

द्वारा संविधान सम्बन्ध विकास की दृष्टि नहीं है। जैसा हम ब्रिटिश संविधान के बारे में देखते हैं। संविधान समा ने इसे बनाया है।

प्रभुता सम्पन्न, समाजवादी पंचनिरपेक्ष :

(लोकतान्त्रिक गणतन्त्र) Sovereign, Socialist Secular, democratic Republic) इसने

भारत को प्रभुता सम्पन्न राज्य बना दिया। जब भारत विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। इसने लोकतान्त्रिक समाजवाद को मान्यता दी है। जिसका रूप इंग्लैण्ड के फेडरेशनवाद से मिलता जुलता है।